न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00063

चतर सिंह आत्मज बेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ब्राह्मानन्द शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.06.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत हक घोषणा का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चारनहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 2 व 3 की आराजी रकबा 0.42 हैक्टर एवं 0.22 हैक्टर स्थित है । उक्त भूमि पर वादी का अपने पिता के समय से यानि 50 सालों से अधिक समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान में वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त है । वादी उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाहता है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे ।

4. प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार लाडपुरा ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद वादी खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 08.08.2013 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट अपने पिता के समय से ही यानि 50–55 साल से काबिज काश्त चला आ रहा है फिर भी परीक्षण न्यायालय ने वाद खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी पर अपने पिता के समय से यानि पिछले 55 वर्षो से काबिज काश्त चला आ रहा है । परीक्षण न्यायालय ने उक्त भूमि पर अपीलान्ट को खातेदार नहीं मानकर त्रुटि की है । अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी पर अपने कब्जे के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में सिवायचक सरकार के खाते में दर्ज है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण किया था जिस पर उसके विरूद्ध धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही कर उक्त आराजी से बेदखल किया जाता रहा है । अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी जो कि सरकारी सिवायचक भूमि है पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 08.08.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 के अनुसार ग्राम चारणहेडी की आराजी खसरा नम्बर 02 रकबा 0.42 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 03 रकबा 0.22 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 0.64 हैक्टर भूमि सरकार के खाते में दर्ज है ।

11. पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी सरकारी सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलान्ट अतिक्रमी है जिसे अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम में कार्यवाही करते हुए वादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाता है । वादग्रस्त आराजी

सिवायचक दर्ज है जिस पर अपीलान्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । हमने परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री में वादी का वाद खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम परीक्षण न्यायालय के निर्णय से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 बहाल रखा जाता है ।

13. निर्णय आज दिनांक 28.06.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मनोज कुमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2013/00063

चतर सिंह आत्मज बेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा जिला कोटा ।

वाद संख्याः 477/दावा/2009

चतर सिंह आत्मज बेरीसाल सिंह जाति राजपूत निवासी अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 28.06.2022 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री ब्रह्मानन्द शर्मा एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.08.2013 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 28.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा